



कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा), रायगढ़ (छ.ग.)

क्रमांक / 1720 / रा.नि.का. / 2014
प्रति,

रायगढ़ दिनांक 22 / 12 / 2014

मुख्य वन संरक्षक (भू-प्रबंध)
एवं नोडल अधिकारी वन संरक्षण अधिनियम
अरण्य भवन मेडिकल कॉलेज रोड,
रायपुर (छ.ग.)

विषय :- एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र की प्रस्तावित छाल खुली कोयला खदान SEAM - III परियोजना (6 MTY) में स्थित कुल वन भूमि 185.017 हे० में स्थित राजस्व वन भूमि 8.307 हे० का अनापत्ति प्रमाण-पत्र गैर वानिकीय उपयोग हेतु प्रदाय करने बाबत ।

संदर्भ : कार्यालय महाप्रबंधक एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र के पत्र क्रं. 1545 दिनांक 12.03.2014

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र द्वारा तहसील धरमजयगढ़ के ग्राम खेदापाली के राजस्व वन भूमि छोटे झाड़ के जंगल खसरा नंबर 5/2, 0.380 हे. एवं 85/2क, 7.866 हे. रकबा कुल रकबा 8.307 हे. का गैर वानिकीय उपयोग हेतु अनापत्ति प्रमाण-पत्र चाही गई है।

उपरोक्त आवेदित भूमि के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के प्रतिवेदन अनुसार अनापत्ति प्रमाण-पत्र दिये जाने हेतु प्रकरण प्रस्तुत किया गया है।

अतः अनुविभागीय अधिकारी (रा.) धरमजयगढ़ के अनापत्ति प्रमाण-पत्र के अनुशंसा अनुसार आवेदित ग्राम खेदापाली तहसील धरमजयगढ़ के कुल खसरा नंबर 02 कुल रकबा 8.307 हे. राजस्व वन भूमि छोटे झाड़ का जंगल को गैर वानिकीय उपयोग हेतु वन संरक्षण अधिनियम 1980 तहत नियमानुसार गैरवानिकी/व्यपवर्तन हेतु उच्च कार्यालय को आवेदन प्रस्तुत करने पर इस कार्यालय को कोई आपत्ति नहीं है।

अनापत्ति देने का तात्पर्य यह कदापि नहीं माना जावेगा कि उपर्युक्त भूमि आवेदक विभाग को हस्तांतरित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

पृ.क्रमांक / 1720 / रा.नि.का. / 2014
प्रतिलिपि :-

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)
रायगढ़ दिनांक / 22 / 12 / 2014

महाप्रबंधक एसईसीएल रायगढ़ क्षेत्र को सूचनार्थ ।

NO (Forest)

कलेक्टर
रायगढ़ (छ.ग.)